



UPKU100090902021

न्यायालय Addl. Chief Judicial Magistrate Kasia Kushinagar,  
पीठासीन अधिकारी- (Sunil Kumar Tripathi), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02094

Warrant or Summons Criminal Case/5414/2021  
State Government of Uttar Pradesh Vs. Jokhan chauhan

सरकार बनाम जोखन चौहान अदि

मु०अ०सं०-342/2021

धारा-323,504,308,336,506 भा०दं०सं०

थाना- को० हाटा

जिला-कुशीनगर।

**कमिटल आदेश**

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियुक्तगण जोखन चौहान जरिये अधिवक्ता उपस्थित व अभियुक्ता मीना चौहान स्वयं उपस्थित।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त मामले में थाना- को०हाटा, जिला-कुशीनगर की पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर समस्त वांछित प्रपत्र उपलब्ध है और अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा-207 दं०प्र०सं० के तहत वांछित अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी है।

चूँकि उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-323,504,308,336,506 भा०दं०सं० का आरोप है, जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः हस्तगत प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया जाता है। लोक अभियोजक सूचित हो। कमिटल लेटर अविलम्ब भेजा जाय।

अभियुक्तगण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण हेतु दिनांक- **07.02.2023** को उपस्थित हो। फौजदारी लिपिक कलैन्डर तैयार कर अन्दर सप्ताह माननीय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा नियमानुसार सुपुर्दगी पत्र तैयार करें।

दिनांक- **22-12-2022**

(सुनील कुमार त्रिपाठी)

ए०सी०जे०एम०

कसया, कुशीनगर।